

विश्वभारती, शांतिनिकेतन

अधिसूचना

उप सचिव, यूजीसी, नई दिल्ली के दिनांक 10.07.2020 के कार्यालय ज्ञापन एफ. नं. 8-1/2014 (सीयू) भाग-5 को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 03.08.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39020/03/2009 –स्था. (बी) के साथ पढ़ा जाए। केंद्र सरकार/केंद्रीय स्वायत्त निकायों में नियुक्ति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए; सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ, अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि –

महिला अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती/विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा/संघ लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती हेतु आयोजित साक्षात्कार के लिए कोई फीस नहीं देना होगा। केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों के द्वारा आयोजित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए भी महिला अभ्यर्थियों को फीस नहीं देना होगा।

संदर्भ सं. आरईजी/अधि./156/168 (ए)

दिनांक : 21.09.2020

हस्ता/–

कुलसचिव (कार्यकारी)

विश्वभारती

प्रतिलिपि :

1. सभी भवन/विभाग, विश्वभारती के निदेशक/प्रिंसिपल
2. सभी शैक्षणिक विभाग/केंद्र, विश्वभारती के अध्यक्ष
3. वित्त अधिकारी (कार्यकारी), विश्वभारती
4. आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी (कार्यकारी), विश्वभारती
5. सभी संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/सहा. कुलसचिव, विश्वभारती
6. कुलपति के उप कुलसचिव एवं गोपनीय सचिव
7. हिंदी अधिकारी, राजभाषा प्रकोष्ठ – हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करें।
8. कुलसचिव के निजी सहायक
9. विश्वविद्यालय वेबमास्टर – विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करें।